न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– रोहिताश्व सिंह तोमर (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 27 / 2025

बउनवान

संजू मेहता पुत्री श्री ओमप्रकाश मेहता आयु 30 वर्ष निवासी गांव सालपुरा ग्राम पंचायत गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राजस्थान) (अपीलांट)

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, बारां जिला बारां (राज.)
2. नन्दकिशोर किराड़ आयु 62 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति किराड़ निवासी सालपुरा ग्राम पंचायत गोरधनपुरा तहसील अटरू जिला बारां (रेस्पोंडेंटगण)

अपील विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी बारां कमांक रसद / अभि. / 2023 / 952–959 दिनांक 20.10. 2023 जिसके द्वारा प्रार्थिया के उचित मूल्य दुकान (पासकोड 8713) ग्राम पंचा. गोरधनपुरा के लाईसेन्स को निलम्बित कर रेस्पो0 कम 2 नन्दकिशोर को उक्त दुकान का राशन वितरण करने हेतु अधिकृत किया गया।

उपस्थिति :–1. श्री मदनलाल गालव, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार रसद (रेस्पों. कम 1)

3. श्री हरिओम चर्तुवेदी अभिभाष्क (रेस्पों. कम 2)

निर्णय दिनांक– 25.02.2026

1– अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत गोरधनपुरा तहसील अटरू की उचित मूल्य दूकानदार पासकोड 8713 की लाईसेन्सी है रेस्पो० कर्म 1 द्वारा दिनांक 20–10–2023 को उक्त वर्णित आदेश पारित कर अपीलांट की दूकान का लाईसेन्स निलम्बित कर उक्त राशन दूकान की राशन सामग्री वितरण करने हेतु अस्थाई रूपसे वैकल्पिक व्यवस्था करने के आदेश पारित किये गये है जो खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो० कम 1 द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता के सम्बन्ध मे कोई नोटिस जारी नही किया गया है तथा मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर उक्त आदेश पारित किया है जो अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना विधि विरुद्ध है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही बरती है। अपीलांट महिला है तथा ओ.बी.सी. वर्ग में आती है राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की नितियां महिलाओ को स्वावलंबी बनाने तथा रोजगार प्रदान करने की रही है इसी अनुसरण मे अपीलांट को उक्त लाईसेन्स की व्यवस्थार्थ आज्ञा पारित की हुई थी जो अपना सही कार्य कर रही थी परन्तु निराधार तथ्यो पर मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना व सही जांच किये बिना अपीलांट का लाईसेन्स निलम्बित किया है जो निरस्तनीय है। रेस्पो० कम 2 को अपीलांट के उचित मूल्य दूकान का राशन वितरण हेतु वैकल्पिक व्यवस्थार्थ नियुक्त किया है वह व्यक्ति राशन की दुकान संचालित करने हेतु योग्यता नही रखता है इस तथ्य पर रेस्पो० कम 1 द्वारा कोई विचार नहीं किया गया तथा उसे अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से उक्त कार्यवाही कर गलत आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय हैं। रेस्पो० कम 2 जिसे वैकल्पिक व्यवस्थार्थ नियुक्त किया गया है उसकी आयु 63 वर्ष है तथा वह उचित मूल्य दूकान संचालित करने हेतु योग्यता खो चुका है नियमानुसार उचित मूल्य दूकान संचालित करने हेतु व्यक्ति की आयु अधिकतम 60 वर्ष बताई गई है रेस्पो० कम 2 इस आयु सीमा को पार कर चुका है तथा वह राशन वितरण हेतु दूकान संचालित करने एवं लाइसेन्स प्राप्त करने व उसे संचालित करने के अयोग्य है इस कारण भी उक्त आदेश निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा कई बार रेस्पो० कम 1 को आग्रह किया गया तथा उक्त आदेश को निरस्त करने एवं अपीलांट को अपनी आवंटी राशन वितरण की दूकान का संचालन करने हेतु आदेश प्रदान करने हेतु प्रार्थना की परन्तु उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया एवं टालमटोल किया जाता रहा इस कारण अपीलांट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर मे एक याचिका एस.बी. सिविल रिट पीटीशन नं0 14409 / 2024 संजु मेहता बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान वगैरा पेश की थी जिसमे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7–11–[illegible] अपीलांट को माननीय न्यायालय के समक्ष रसद विभाग जिला रसद अधिकारी बारां द्वारा पारित [illegible] के खिलाफ एक माह के अन्दर अपील करने हेतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.04.01 13:54:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

लाइसेन्स निलम्बित कर उक्त राशन दूकान की राशन सामग्री वितरण करने

निलंबित किया जिसकी अनुपालना में यह अपील माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त आदेश को निरस्त कर अपीलांट को उचित मूल्य दूकान (पासकोड 8713) ग्राम पंचायत गोरधनपुरा तह अटरू के लाईसेन्स को बहाल किये जाने व राशन सामग्री वितरण किये जाने के आदेश पारित फरमावे अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावे ।

2— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंटगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषकगण व पेरोकार रसद हेतु प्रकरण नियत किया गया।

3— हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण एवं पेरोकार रसद की सुनी।

4— बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो० कम 1 द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता के सम्बन्ध मे कोई नोटिस जारी नही किया गया है तथा मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर उक्त आदेश पारित किया है जो अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना विधि विरुद्ध है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेस्पो० कम 2 राशन की दुकान संचालित करने हेतु योग्यता नही रखता है इस तथ्य पर रेस्पो० कम 1 द्वारा कोई विचार नहीं किया गया तथा उसे अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से उक्त कार्यवाही कर गलत आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करें।

5— दौराने बहस पेरोकार ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है अपीलांट स्वंय तथा जर्ये प्रतिनिधि अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रही है। अपीलांट ने दिनांक 19.01.2024 को जवाब प्रस्तुत कर फूड पैकेट वितरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना स्वीकार किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 19.01.2024 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट का उक्त कृत्य विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत प्रभावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने से अपीलांट का प्राधिकार पत्र बाद जांच निलम्बित किया गया था। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6— दौराने बहस अभिभाषक रेस्पो. कम 2 ने अभिभाषक अवीलांट के कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंन्ट क्रम 2 को नियमानुसार उचित मूल्य दुकानदार नियुक्त किया गया है जिसके चयन तथा योग्यता के संबंध में अपीलांट को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट को निलंबित किया जाकर जिला रसद अधिकारी, बारां ने अस्थाई व्यवस्था हेतु रेस्पो. कम 2 को अपीलांट की उचित मूल्य दुकान की राशन सामग्री वितरण करने हेतु अधिकृत किया है। अपीलांट द्वारा अनियिमतता किये जाने पर ही उसके विरूद्ध कार्यवाही जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

7— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट का तर्क कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को किसी प्रकार की अनियमितता के सम्बन्ध मे कोई नोटिस जारी नही किया गया है तथा मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर उक्त आदेश पारित किया है जो अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना विधि विरुद्ध है। अपीलांट का यह कथन पूर्णतया सत्य है। संबंधित लिपिक द्वारा दिनांक 20.10.2023 को जिला रसद अधिकारी को कार्यवाही पेश करने पर उनके द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी करने का आदेश नहीं देकर सीधे ही प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विधिर्क त्रुटि पायी जाती है तथा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योगय पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी बारां का आदेश कमांक 952–959 दिनांक 20.10.2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ जिला रसद अधिकारी, बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एंवं साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर पुनः विधिनुरूप निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को लिखाया जाकर सुने इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.04.01 13:54:17 IST
Reason: SelfAttested